राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

प. 7(64)डी.एम.ई./एकेड/फॉर्मेसी/2015 जयपुर, दिनांकः 5/10/2020

परिपत्र

फॉर्मेसी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा राज्य में नये फॉर्मेसी कॉलेज खोले जाने/नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने/प्रवेश क्षमता में वृद्धि किये जाने/चालू पाठ्यक्रम को बंद किये जाने हेतु जारी की गई अनुमति में राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त लगाई जाती है। राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **आवेदन हेतु पात्र संस्था :** विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा के प्रयोजन हेतु केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा अथवा समर्थित स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकरण अधिनियमों में पंजीकृत सोसायटी, न्यास अधिनियमों में पंजीकृत संस्थाए, कंपनी अधिनियम में पंजीकृत कंपनियां।
2. **आवेदन करने की प्रक्रिया :** विभाग की वेबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र राशि 500/– रूपये व आवेदन शुल्क राशि 20,000/–रूपये, कुल राशि रू. 20,500/– लेखा शीर्ष "0210–03–105–03–00 चिकित्सा शिक्षा विभाग की आय" में ई–ग्रास के माध्यम से जमा कराई जायेगी।
3. **आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र :–**
   I. आवेदक के ए.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई. द्वारा निर्धारित आधारभूत ढांचे संबंधी मापदंडो की पूर्ण पालना करने के संबंध में शपथ पत्र।
   II. आवेदक के ए.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई. द्वारा निर्धारित आधारभूत संरचना के स्वामित्व रखने प्रबंधन करने व संस्था को विकसित करने के संबंध में शपथ पत्र मय स्वामित्व के दस्तावेजी साक्ष्य सहित।
   III. भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने संबंधी सक्षम प्राधिकारी का अनुमति पत्र।
   IV. आवेदक के ए.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई. द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों व मापदंडो की पूर्ण पालना करने के संबंध में शपथ पत्र एवं साक्ष्य।
4. **अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सिफारिश हेतु समिति :–**

1.	अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा	अध्यक्ष
2.	संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा	सदस्य सचिव
3.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ	सदस्य
4.	अति. निदेशक शैक्षणिक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
5.	वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
6.	डीन, फॉर्मेसी आर.यू.एच.एस., जयपुर	सदस्य
7.	रजिस्ट्रार, राजस्थान फॉर्मेसी कॉउन्सिल	सदस्य

उक्त समिति की अभिशंषा उपरांत माननीय मंत्री महोदय से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा।

(वैभव गालरिया)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. सचिव, ऑल इंडिया कॉउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्यूकेशन, नई दिल्ली।
4. रजिस्ट्रार, फॉर्मेसी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, फॉर्मेसी कॉउन्सिल, राजस्थान जयपुर।
8. अति. निदेशक शैक्षणिक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा।
9. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा।
10. डीन, फॉर्मेसी आर.यू.एच.एस., जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

5/10/2020
शासन संयुक्त सचिव